उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

11.9.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र T.I. पर वकील प्रार्थी उपस्थित की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 30.9.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

01/10/25 दिनांक 30/9/25 को राजकीय अवकाश होने से पत्रावली में आगामी कार्य दिवस दिनांक 01/10/25 को तारीख पेशी नियत की गई। आज अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/11/25 को पेश हो।

18.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा

यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

रघुनाथ सिंह बनाम सहायक आभियोजन

मु.नं.– २४/२५ किस्म – P.2.

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
29/2025	21.03.2025	18.11.2025

बउनवान

1. रघुनाथ सिंह पुत्र प्रभूसिंह, निवासी करिरिया, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. बजरंगसिंह पुत्र प्रभूसिंह, निवासी करिरिया, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. मिथलेश पुत्री प्रभूसिंह, निवासी करिरिया, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. सावित्री पुत्री प्रभूसिंह, निवासी करिरिया, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. कृपाल सिंह पुत्र जयसिंह, निवासी करिरिया, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. उर्मिला पुत्री जयसिंह, निवासी करिरिया, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. उमा पुत्री जयसिंह, निवासी करिरिया, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
8. प्रेम कंवर पत्नी जयसिंह, निवासी करिरिया, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
9. देवेन्द्र दोहित्रा प्रभूसिंह पुत्र बजरंग सिंह, निवासी करिरिया, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
10. रेणू दोहित्री प्रभूसिंह पुत्री बजरंग सिंह, निवासी करिरिया, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
11. संजय दोहित्री प्रभूसिंह पुत्र बजरंग सिंह, निवासी करिरिया, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
12. वर्षा दोहित्री प्रभूसिंह पुत्री बजरंग सिंह, निवासी करिरिया, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..**प्रार्थीगण/सायलान**

बनाम

1. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड बांदीकुई, तहसील बांदीकुई, दौसा।
2. कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड बॉदीकुई, तहसील बांदीकुई, दौसा।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सिकन्दरा, तहसील बांदीकुई, दौसा।
4. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा, तहसील दौसा।
5. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

..**अप्रार्थीगण/गैरसायलान**

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री मुकेश सिंह।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा सं. 23 रकबा 0.80 हैक्टे., 24 रकबा 0.31 हैक्टे., 43 रकबा 0.52 हैक्टे., 44

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज.

निर्णय दिनांक

रकबा 0.67 हैक्टे., 45 रकबा 0.42 हैक्टे., 46 रकबा 0.47 हैक्टे., 47 रकबा 1.14 हैक्टे., ... रकबा 0.05 हैक्टे., 65 रकबा 0.03 हैक्टे., 66 रकबा 1.98 हैक्टे., कुल किता 10, कुल रकबा 6.39 हैक्टे. ग्राम करिरिया, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है जिस पर प्रार्थीगण अपने बुजुर्गान के समय से काश्त करते चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण को अपनी अचल सम्पत्ति उक्त भूमि की सुरक्षा करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है एवं प्रार्थीगण के पास अपने परिवार के पालन पोषण के यही एक मात्र सहारा है जिसमें प्रार्थीगण फसल पैदा कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि से अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 का किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से प्रार्थीगण के कब्जे में चली आ रही है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 जबरन उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण के स्वामित्व व स्वत्व की भूमि खसरा नम्बर 23, 24, 43, 44 वाके ग्राम करिरिया की भूमि में होकर जबरन सडक बनाना चाहते है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो के कब्जे काश्त की भूमि थी उक्त भूमि प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है लेकिन अप्रार्थीगण जबरन अपनी प्रशासनिक शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में होकर जबरन सडक बना कर प्रार्थीगण की भूमि को हडपना चाहते है। प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक अपनी उक्त भूमि पर लगातार फसल काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है एवं मौके पर किसी प्रकार का रास्ता मौजूद नहीं है एवं राजस्व रिकॉर्ड में भी किसी प्रकार का रास्ता मौजूद नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण जबरन अपनी प्रशासनिक शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए एवं प्रार्थीगण की उक्त भूमि में होकर जबरन सडक बनाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण अपनी पैतृक सम्पत्ति से वंचित हो जायेंगे एवं प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिस पर प्रार्थीगण ने हाथ जोड कर अप्रार्थीगण को समझाया लेकिन अप्रार्थीगण समझने को तैयार नहीं है, जबरन प्रार्थीगण की उक्त भूमि में सडक बनाने पर आमादा है एवं अप्रार्थी 1 लगायत 5 जबरन प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि को हडपना चाहते है। प्रार्थीगण दिनांक 17.03.2025 को अपनी उक्त भूमि खसरा नम्बर 23, 24, 43, 44 वाके ग्राम करिरिया में फसल गेहूं की देखभाल कर रहा था कि उसी समय अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 5 अपने साथ अधीनस्थ कर्मचारियों को साथ में लेकर आ गए एवं प्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि पर आ गए व प्रार्थीगण के खेतों में होकर नाप करने लगे एवं सडक बनाने का निशान लगाने लगे तो प्रार्थीगण ने पूछा कि ये आप हमारी जमीन में होकर क्या निशान लगा रहे हो तो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम इस जमीन में होकर सडक बनायेंगे जिस पर प्रार्थीगण ने हाथ जोड़कर कहा कि ये हमारी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन है एवं राजस्व रिकॉर्ड नक्शा शीट में होकर कोई रास्ता नहीं है एवं मौके पर भी कोई रास्ता नहीं है। आप हमारी जमीन में होकर जबरन सडक नहीं बना सकते तो अप्रार्थीगण ने एलानिया कहा कि हम सरकारी अफसर है, जहां से भी चाहते है, वहीं से सडक बना देते है। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम सरकारी अधिकारी है, ज्यादा बकवास करोगे तो हम तुमको झूठे केस में फंसा कर बर्बाद कर देंगे, जेल भेज देंगे एवं जबरन अप्रार्थी 1 लगायत 5 एवं उनके साथ में आये कर्मचारी प्रार्थीगण के खेतों में अन्दर घुस कर निशान लगाकर जबरन सडक बनाने की ऐलानिया धमकी देने लगे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज.

और कहा कि हम आज से 7 दिन बाद यह सड...
यदि अप्रार्थीगण अपने द्वारा दी गई धमकी में...
सम्पत्ति भूमि से वंचित हो जायेंगे जिससे प्र...
प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र बाबत अ...
किया जाना लाजिमी आया है जो श्रीमान न्याया...
03.2025 को अप्रार्थी 1 लगायत 5 द्वारा अपने...
स्वामित्व की एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि ख...
तहसील बैजूपाडा में आकर जबरन प्रार्थीगण...
प्रार्थीगण के खेतो में होकर नाप करने लगे ए...
को एलानिया धमकी देने से पैदा हुआ है जिस...
पेश है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 लोकसेवक है...
उन्हें धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जा...
अत्यावश्यक प्रकृति का है एवं दिनांक 17.03...
प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की...
करीरिया तहसील बैजूपाडा में आकर जबरन...
गए व प्रार्थीगण के खेतो में होकर नाप कर...
प्रार्थीगण को एलानिया धमकी देने से यह...
आवश्यक हुआ है यदि कानूनन अप्रार्थीगण...
दिवस का प्रदान किया गया तो अप्रार्थीगण...
जायेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति...
जायेंगे एवं प्रार्थीगण का वाद पत्र अत्यावश्यक...
प्रस्तुत करने कि अनुमति प्रदान किया जाना...
करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80...
जा रहा है। प्रार्थीगण का प्रथम *द्रष्ट्या* माम...
अपने द्वारा दिनांक 17.03.2025 को दी गई...
सम्पत्ति खातेदारी भूमि से वंचित हो जा...
जिसकी पूर्ति किसी प्रकार सम्भव नहीं है ए...
निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स...
फैसला इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाब...
स्वत्व की एवं खातेदारी की उक्त भूमि आर...
किसी प्रकार की सडक का निर्माण नहीं क...
में अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं करे, प्रार्थ...
अप्रार्थीगण उक्त भूमि की मौके की स्थिति य...

2. *प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध...*
पत्र नोटिस जारी किए गए। विद्वान अभिभ...
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लि...
प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

और कहा कि हम आज से 7 दिन बाद यह सडक बनाने का कार्य शुरू कर देंगे। इस प्रकार यदि अप्रार्थीगण अपने द्वारा दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो प्रार्थीगण अपनी पैतृक सम्पत्ति भूमि से वंचित हो जायेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया जाना लाजिमी आया है जो श्रीमान न्यायालय में पेश है। विनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2025 को अपार्थी 1 लगायत 5 द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में प्रार्थीगण के स्वामित्व की एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि खसरा नम्बर 23, 24, 43, 44 वाके ग्राम करीरिया तहसील बैजूपाडा में आकर जबरन प्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि पर आ गए व प्रार्थीगण के खेतो में होकर नाप करने लगे एवं सड़क बनाने का निशान लगा कर प्रार्थीगण को एलानिया धमकी देने से पैदा हुआ है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ पेश है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 लोकसेवक है कानूनन जिनके विरुद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रार्थीगण का बाद पत्र अत्यावश्यक प्रकृति का है एवं दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 5 के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 23, 24, 43, 44 वाके ग्राम करीरिया तहसील बैजूपाडा में आकर जबरन प्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि पर आ गए व प्रार्थीगण के खेतो में होकर नाप करने लगे एवं सडक बनाने का निशान लगा कर प्रार्थीगण को एलानिया धमकी देने से यह वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है यदि कानूनन अप्रार्थीगण को दावा प्रस्तुत करने से पूर्व लीगल नोटिस 60 दिवस का प्रदान किया गया तो अप्रार्थीगण अपने द्वारा दी गई एलानिया धमकी में सफल हो जायेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं प्रार्थीगण न्याय प्राप्ति से वंचित हो जायेंगे एवं प्रार्थीगण का वाद पत्र अत्यावश्यक प्रकृति का होने से श्रीमान न्यायालय को दावा प्रस्तुत करने कि अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वाद पत्र को प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80 (2) जा. दी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण का प्रथम *द्रष्ट्या* मामला पूरी तरह से साबित है एवं यदि अप्रार्थीगण अपने द्वारा दिनांक 17.03.2025 को दी गई धमकी में सफल हो गए तो प्रार्थीगण अपनी पैतृक सम्पत्ति खातेदारी भूमि से वंचित हो जाएगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार सम्भव नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फ़रमाया जाकर अप्रार्थीगण को ता दावा फैसला इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो प्रार्थीगण के स्वामित्व व स्वत्व की एवं खातेदारी की उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 23, 24, 43, 44 भूमि में होकर किसी प्रकार की सड़क का निर्माण नहीं करे एवं जबरन प्रार्थीगण के स्वामित्व की उक्त भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं करे, प्रार्थीगण को अपनी भूमि से बेदखल नहीं करे एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि की मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्द रहे।

2. *प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए।* विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

दिनांक 28.03.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम करिरिया, पटवार हल्का गोलाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 23, 24, 43, 44 में मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. *नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 05 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।*

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थाई व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

> ***212.*** *व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*
>
> *(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या*
>
> *(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।*
>
> *तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।*
>
> *(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।*

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार, वर्तमान में विवादित आराजीयात के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे के हिस्से में अप्रार्थीगण के द्वारा सडक का निर्माण किया जाता है तो प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार के उपयोग में भारी असुविधा होगी। इससे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज.

वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। विवादित आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक, विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुँचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम करिरिया, पटवार हल्का गोलाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 23, 24, 43, 44 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, प्रार्थना पत्र में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.03.2025 को सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे व उक्त विवादित आराजीयात में किसी प्रकार की सड़क का निर्माण नहीं करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

8 निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 18.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज